## दिनांक 12-11-16

प्रकरण आज लोक अदासत में पेश। राज्य द्वारा एडीपीओ उपरा। आरोपी भारत धमेन्द्र राजवीर द्वारा श्री बजबेन्द्र बीवास्वत अधिवस्ता उपिस्थत।

मध्यस्थाता सेटेलमेंटी डीड प्राप्त।

करियादी गमता देवी ने उपस्थित होकर राजीनामा करना व्यक्त किया और राजीनामा की अनुगति बाबत आवेदन पेश किया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया जिससे वर्शित है कि आरोपी भारतसिह धमेन्द्र एवं रघुवीर के विरुद्ध भाद स की धारा 294 323 /34, 506 मारा-2 के अतर्गत आरोप पत्र तैयार किया गया हैं जो न्यायालय की अनुमति उपरात राजीनामा योग्य है। करियादी ममता राजीनामा हेतु सक्षम है, ममता ने आरोपीगण से स्वेक्जापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा प्रकारों के हित में है एवं लोकनीति के अनुरूप है। अन उसयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार करते हुए उन्हें राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

आरोपीगण व फरियादी ममतादेवी द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित राजीनामा पेश किया गया है। अत राजीनामा के आधार पर आरोपीगण को भा द स. की धारा 294, 323 /34, एवं 506 माग-2 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे ।

> मंग्रेश गर्ग पीठासीन अधिकारी, लोक अदालत पीठ कमाक -22

सदस्य

श्री प्रमोद स्वामी एड गोहद,

By

श्री सतेन्द्रसिंह तोमर एड गोहद.